मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2001 (भाद्र 20, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शिक्षण संस्थाओं को मान्यता व परीक्षा परिणाम जारी करने में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम छान में नहर हेतु अधिग्रहीत भूमि पर अतिक्रमण कर आवास बनाये जाने की ओर उपमुख्य मंत्री, जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गनपत सिंह उइके, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 18 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घन्टा — (2) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (3) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 15 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 सितम्बर, 2001